

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट  
हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स

टी. ओ. (एसएच. व सी.एच.) प्रभाग

प्रचालन भवन

15 दिसंबर 2014

सं. MTO/G/287/pt.VIII/2173

परिपत्र

विषय: लाइसेंस पर एचडीसी में पोर्ट के अंदर कार्गो के भंडारण के लिए आवेदन जमा करने का समय

हाल ही में सूचित किया जाता है कि कार्गो के पारवहन भंडारण के लिए अल्पकालीन लाइसेंस पर भूमि के नए आवंटन के लिए आवेदन उनके जहाजों के पहुंचने से पहले या सैंडहैंडस में जहाजों की रिपोर्टिंग के बाद कुछ समय बाद पोर्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा जमा किए जा रहे हैं। इसी प्रकार लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस के खत्म होने के केवल एक दिन पहले या खत्म होने के बाद कुछ अवसरों पर जमा किए गए हैं। हालांकि, कई मामलों में, आवेदन अधूरे हैं और/या निर्धारित प्रोफार्मा में जमा नहीं किए गए हैं।

यह याद दिलाया जाता है कि परिपत्र सं. दिनांक 10-03-2011 के तहत, सभी प्रयोगकर्ताओं को सूचित किया गया था कि लाइसेंस पर प्लॉट के नए आवंटन के लिए आवेदन सैंडहैड्स में जहाजों के पहुंचने के कम से कम 7 दिन पहले जमा किए जाने चाहिए। इसी प्रकार, प्लॉट्स के लाइसेंस के विस्तार के लिए आवेदन लाइसेंसिंग के नियम व शर्तों के अनुसार लाइसेंस के खत्म होने की तिथि से कम से कम 7 साल पहले जमा किए जाने चाहिए।

सभी संबंधित को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि बिना किसी वैध आधार के बिना देर से प्राप्त आवेदन या उचित प्रोफॉर्मा में न होना/अपूर्ण आवेदन लाइसेंस पर भूमि के आवंटन/नवीकरण को अंतिम रूप में देरी होगी।

इसके अनुसार सभी संबंधित से एचडीसीए केओपीटी द्वारा बेहतर सेवा प्रदान करने की सुविधा के लिए उक्त समयसीमा द्वारा पालन करने का अनुरोध है।

(डी. नायक)

प्रबंधक (एसएच व सीएच)

वितरण:

एचडीसी में आयातक/निर्यातक

एचडीसी में सी एंड एफ एजेंट

एचडीसी में हैंडलिंग एजेंट

उप अध्यक्ष के सूचना के लिए उप अध्यक्ष के पीएस को प्रतिलिपि

सूचना के लिए प्रबंधक (प्रशास.)/प्रबंधक (पीएंडई) को प्रतिलिपि

सूचना के लिए उप प्रबंधक (एसएच व सीएच), जी.सी. बर्थ/सीजेपी को प्रतिलिपि

केओपीटी वेबसाइट व एचडीसी वेबपोर्टल को प्रतिलिपि